भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2617

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

सरकारी स्कूलों में वंचित छात्रों का प्रवेश

2617. **श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में छात्र के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी के अनुसार कोई प्रावधान निर्धारित है;
(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दूरी के भीतर स्थित सरकारी विद्यालयों में वंचित छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है;
(ग) क्या निर्धारित दूरी के भीतर स्थित सरकारी स्कूल में प्रवेश देने के बजाय, निर्धारित दूरी से बाहर स्थित निजी स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार के पास भविष्य में निर्धारित दूरी के भीतर स्थित सरकारी विद्यालयों में वंचित छात्रों को प्रवेश देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 6 में स्कूल की स्थापना के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारणी के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के आरंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या पड़ोस की सीमाओं के भीतर, जैसा विहित किया जाए, एक विद्यालय, जहां यह स्थापित नहीं किया गया है, स्थापित करेगा।

इस प्रावधान का औचित्य सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच सुलभ कराना है। इसलिए आरटीई अधिनियम उपयुक्त सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को परिभाषित क्षेत्र या पड़ोस की सीमाओं के भीतर प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की पहुंच सुलभ कराने का अधिदेश देती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम पड़ोस की सीमाओं या क्षेत्र को एक केंद्रीकृत मानदंड के रूप में परिभाषित नहीं करता है, लेकिन उपयुक्त सरकार से ऐसी सीमाओं या क्षेत्र को आरटीई नियमों में अधिसूचित करने की आवश्यकता है। यह बहुत विविध भौगोलिक, जलवायु भू-भाग और विभिन्न राज्यों की विविध विकास आवश्यकताओं और विभिन्न बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए 'पड़ोस' को परिभाषित करना राज्यों के विवेकाधिकार में है।

तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्यों को परिचालित मॉडल शिक्षा का अधिकार नियमावली में इसका उदाहरण देने का प्रयास किया है, जिसमें कक्षा I-V के बच्चों के लिए एक किलोमीटर और कक्षा VI-VIII के बच्चों के लिए तीन किलोमीटर की दूरी के मानकों का प्रावधान किया गया है, साथ ही दुर्गम भू-भाग वाले स्थानों में जहां भूस्खलन का खतरा, बाढ़, सड़कों की कमी और सामान्य तौर पर, छोटे बच्चों के लिए उनके घरों से स्कूल तक पहुंचने में खतरा हो सकता है, वहां मानकों में छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। इन्हें विधानमंडल रहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू केन्द्रीय शिक्षा का अधिकार नियमावली में भी शामिल किया गया है।

पड़ोस के स्कूल में प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान करते हुए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चे को ऐसे स्कूल में प्रवेश पाने के विकल्प को प्रतिबंधित नहीं करता है जो बच्चे के आस-पास या बच्चे के निवास के आस-पास नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, बच्चे पर केवल अपने पड़ोस के स्कूल में प्रवेश लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, वंचित बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने की सुविधा सुलभ कराने के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न क्रियाकलाप शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उन्हें मजबूत बनाना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, असमान अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, नि:शुल्क यूनिफार्म, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाना शामिल है। इसके अलावा, प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के अंतर्गत बालवाटिका सहित शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है, जो बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करता है।

****